निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 103 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी **अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , बैजरो (पौड़ी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी **अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , बैजरो (पौड़ी)** के माह 08/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार संह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेंद्र तमोली, संप्रेक्षक द्वारा दिनांक 24-02-2018 से 03-03-2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में संपादित कया गया।

भाग-I

1- परिचयात्मकः इस इकाई के लेखा अ भलेखों की वगत लेखापरीक्षा दिनांक 26/08/2016 से 05/09/2016 तक लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एन. एस. भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा श्री जे. एम. एस. रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसके अंतर्गत माह मई 2014 से जुलाई 2016 तक के लेखा भलेखों की जाँच की गई थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(इकाई द्वारा संचा लत योजनाओ सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाये)

अ. विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	प्राप्ति	व्यय		
2015-16	-	-	1790.38	1732.82				
2016-17		-	2651.12	2651.12				
2017-18	-	-	1325.92	1325.92				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2013-14	शून्य					
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18 (01/2018)						

(III) इकाई को बजट आवंटन (श्रोत बताया जाये) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई राज्य श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे अंकित किया जाये) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

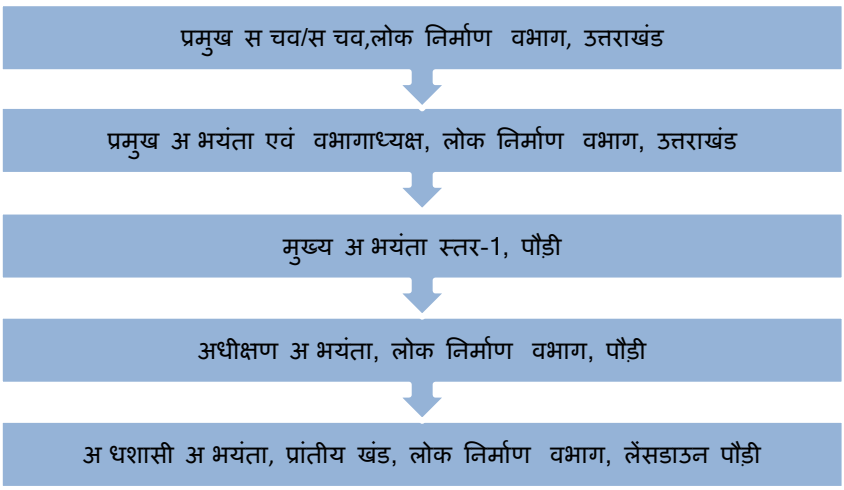

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अ धशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , बैजरो (पौड़ी)** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी उन्हे अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रथक-प्रथक जारी कए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अ धशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , बैजरो (पौड़ी)** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा संपादित की गयी हो उसे अंकित किया जाये) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर2017, जनवरी 2018 को

विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। .....(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाये) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाये) के आधार पर किया गया।

(IV)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से ..... को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह .....तथा ..... तक की गई।

5. फार्म 51: माह 06/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 679361.45

भाग द्वितीय ` (-) 221694.75

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण अग्रिम	` 59446578.00
(ख)	सामग्री क्रय	` शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	` शून्य
(घ)	निक्षेप	` 14631973.00
(ङ)	भण्डार	` 12854050.00

भाग दो (अ)

प्रस्तर 1- स्टोर से संविदाकरों को निर्माण सामग्री निर्गत किये बिना ही उनसे नकद धनराशि रू0 8.50 लाख की प्राप्ति दर्शाना एवं उसकों सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा न किया जाना।

ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के 48(1) साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाय। शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपयोगों में अपवाद अनुमन्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं :– (क) संचालन अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवान्स) (ख) उपस्कर एवं मषीन हेतु अग्रिम तथा (ग) निर्माण कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम।

(2) अग्रिम, अग्रिम धनराषि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जाऐंगे। अग्रिम की वसलू ी या समायोजन सुनिष्चित करने के लिए बैंक गारन्टी अथवा अन्य धरोहर राषि ली जाय। यदि बैंक गारन्टी ली जाए तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैंक गारन्टी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जाँच की जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बैजरो(पौडी) की रोकड बही की लेखापरीक्षा. के दौरान पाया गया कि श्री धीरेन्द्र सिह नेगी ठेकेदार से अनु0 सं0 61/ई0ई0 के विरूद्व प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि कैश प्राप्ति रसीद संख्या 306553 दिनांक सं0 से रू0 7,00,000.0 एवं श्री महिपाल सिह कण्डारी ठेकेदार से अनु0 सं0 68/ई0ई0 के विरूद्व प्रकीर्ण अग्रिम रू0 1,50000.00 धनराशि कैश प्राप्ति संख्या 306554 प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली की धनराशि दिनांक 3/5/2016 को प्राप्त की गयी थी। दिनांक 3/ 5/2016 को ही उक्त प्राप्त धनराशि को श्री भारत सिह रावत क0अ0 के नाम रू0 4,00,000.00 एवं श्री शायम लाल गोयल स0अ0 के नाम 4,50,000.00 कुल रू0 8,50,000.00 का स्थायी अग्रदाय खोला कर व्यय कर दी गयी थी। जबकि उक्त स्थायी अग्रदाय किस कार्य को प्रारम्भ एवं पूर्ण करने हेतु खोला गया था। सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम अग्रदाय खोलते समय स्पष्ट नही किया गया था। जबकि प्राप्त राजस्व धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक म`(अर्थात) कुल रू0 8,50,000.00 को शासकीय खातों में जमा किया जाना चाहिऐ थां, परन्तु ऐसा नही किया गया था, बल्कि खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा उक्त धनराशि को कार्यालय से बहार बिना किसी क्रयादेशा जारी किये हुऐ स्टॉक का क्रय करने हेतु ले जाया जा रहा था, खण्ड कार्यालय से लगभग 80 कि0मी0 क्षेत्र के बहार सतपुली में उक्त रू0 8,50,000.00 को पुलिस के द्वारा दिनांक 6/5/2016/ को पकडकर कर जब्त कर लिया गया था। तथा उक्त जब्त धनराशि को कोषागार पौडी के डबल लॉक में सील पैकेट में रखकर जमा रख दिया गया था। इसी बीच दिनांक 8/11/2016/ को भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण घोषित कर दिया गया था। खण्ड के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में बताया गया कि उक्त धनराशि का आहरण बैक से शासकीय कार्य हेतु किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा इसको सही मानते हुऐ उक्त जब्त की गयी धनराशि को कोषागार पौडी के डबल लॉक से रिलीज करने के लिये पुलिस को दिनांक 20/3/2017/ को आदेशा जारी कर दिये गये थे, खण्ड कार्यालय के द्वारा उक्त धनराशि को दिनांक 22/3/2017/ को कोषागार के डबल लॉक से प्राप्त कर लिया गया था, तथा उक्त धनराशि को दिनांक 27/3/2017/ को रू0 8,50,000. 00 शासकीय हित में सील पैकेट को भारतीय रिर्जव बैक से कोई निर्देश प्राप्त होने तक इस

कार्यालय के दिनांक 27/3/2017/ से आतिथि तक कैश बुक में उक्त धनराशि को माह में बनाये जाने वाले प्राप्ति एवं व्यय विवरण में नही दर्शाया गया हैं बल्कि कैश बुक शुन्य दर्शायी जाती हैं। अर्थात माह 3/2017 से सम्प्रेक्षा तिथि तक न तो उक्त धनराशि से खण्ड के अभिलेखों के अनुसार स्टॉक ही प्राप्त हुआ था, अर्थात माह मार्च 2017 के फार्म 9 एवं फार्म 11 में कार्यालय के द्वारा रू0 8,50,000.00 का कोई भी स्टॉक प्राप्त नही किया गया था। और ना ही उस धनराशि के खण्ड के कार्यालय में होने का सत्यापन ही मुख्य रोकड बही में अंकित होना पाया गया था। कार्यालय के डायरी एवं डिस्पेच रजिस्टर की जॉच की गयी तो पाया गया कि जिस कार्यालय ज्ञाप सं0 239/कैश/सी0सी0एल0 दिनांक 27/3/2017/ के अनुपालन में खण्डीय कैश चैस्ट में रखते हुऐ सम्बन्धित धनराशि को form no.73(Land Kilnes etc) sub heads स्टॉक में भारित करते हुऐ Sanctioned is Awainted समायोजित कर बन्द किया गया, डायरी संख्या एवं डिस्पेच संख्या 239 एवं 240 में उस स्थान पर कुछ भी नही लिखा गया था। बल्कि डिस्पेच संख्या 241 दिनांक 27/3/2017/से सभी प्रेषित पत्रों की प्रविष्टि की गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि खण्ड के द्वारा जिस पत्रांक संख्या 239 दिनांक 27/3/2017/ का सन्दर्भ देते हुऐ रू0 8,50,000.00 को खण्डीय चैस्ट में होना बताया गया था, तथा जिसकी सूचना प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित होना दर्शाया गया हैं, वास्तव में इस तरह का कोई भी ज्ञाप संख्या खण्ड के कार्यालय से न जारी किया गया था, और ना ही उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयों को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ही की गयी थीं। खण्ड के द्वारा रू0 8,50,000.00 की हो चुकी हानि से बचने के लिये ऐसा किया जा रहा था। क्योकि उक्त धनराशि सीसी0एल0 की धनराशि थी, जिससे स्वीकृत शसकीय कार्य को पूर्ण किया जाना था। विभाग की लापरवाही एवं गलती के कारण शासन को शासकीय धनराशि की हानि भी हो चुकी थी।

इस संबध में खण्ड से पूछने पर अपने उत्तर में स्वीकार किया गया है ,कि खण्ड कार्यालय के द्वारा वित्तीय नियमों के विरूद्व कार्यवाही कर संविदाकरों से प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली दशाये गये अनुबन्ध सं0 61 एवं 68 के सापेक्ष खण्ड के भण्डार से बिना स्टॉक जारी किये नकद किया जाना एंव उसकों सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा न करके उसका स्थायी अग्रदाय कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के नाम बिना किसी आवश्यकता के खोलना वित्तीय नियमों के विपरीत था, तथा दो दिन उपरान्त ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वंय शासकीय धनराशि को ले जाकर नकद सामग्रियों का क्रय करना वह भी पूर्व में जारी बिना किसी क्रयादेश के विरूद्व अनुचित था। प्रकरण शासन के संज्ञान में लाकर संबंधित से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

खण्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या से यह स्पष्ट होता है कि केवल अभिलेखों में हेरा फेरी करने के लिये संविदाकरों के नाम माह 5/2016 में जारी स्टॉक की मात्रा धनराशि का वसूली करने के लिये प्रकीर्ण अग्रिम में धनराशि अंकित करना तथा उसी माह एवं तिथि को दर्शायी गयी प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि अनुबन्ध कार्य के पूर्ण हुऐ बिना ही उनके देयकों से सामग्री की कटौती धनराशि ना करके संविदाकरों से नकद प्राप्त करना जबकि माह 5/2016 तक में रू0 2,05,15,148.00 हिन्दुस्तान पेटोलियम रूडकी (मैक्स फॉल्ट) प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली लम्बित थी,उसके लिये कोई भी कार्यवाही न करना एवं माननीय न्यायालय को यह बताना कि उक्त धनराशि रू0 8,50,000.00 का आहरण बैक से किया गया थां, जबकि उस तिथि को किसी भी वाउचर से कोषागार एवं बैक से धनराशि का आहरण स्टॉक का क्रय करने हेतु किया नही गया था। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त अनुबन्धों के सापेक्ष संबधित संविदाकरों पर कोई पेनल्टी भी नही लगायी गयी थीं,इसलिये

इससे यह स्पष्ट नही होता है कि हैण्ड रसीद से क्रमशः 7.00 लाख एवं रू0 1.50 लाख संविदाकारों से प्राप्त की गयी थी।

अतः प्रकरण का संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1- रू0 2.05 करोड की मैसर्स हिन्दुस्तान पेटोलियम रूडकी से वसूली ना किया जाना।

ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के 48(1) साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाय। शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपयोगों में अपवाद अनुमन्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं :– (क) संचालन अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवान्स) (ख) उपस्कर एवं मषीन हेतु अग्रिम तथा (ग) निर्माण कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम।

(2) अग्रिम, अग्रिम धनराषि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जाऐंगे। अग्रिम की वसलू ी या समायोजन सुनिष्चित करने के लिए बैंक गारन्टी अथवा अन्य धरोहर राषि ली जाय। यदि बैंक गारन्टी ली जाए तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैंक गारन्टी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जाँच की जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बैजरों की लेखापरीखा के दौरान पाया गया कि माह मार्च 2017 तक रू0 2,75,11,881.15 की धनराशि विभिन्नो के नाम के सम्मुख धनराशि विगत कई वर्षो से लम्बित दर्शायी जा रही है, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा तिथि तक नही की गयी थी। इसमें से रू0 2,05,15,148.00 की अग्रिम वसूली की धनराशि आइटम संख्या 34 में मैसर्स हिन्दुस्तान पेटोलियम रूडकी के नाम (मैक्स फाल्ट) का क्रय करने हेतु अग्रिम दी गयी थीं, अर्थात उक्त धनराशि से ना तो खण्ड के द्वारा मैक्स फाल्ट प्राप्त ही नही करा गया था। इसलिये यह धनराशि निर्माण सामग्री प्राप्त होने तक अग्रिम धनराशि लम्बित दर्शायी जा रही है। बिना दर अनुबन्ध किये किसी भी फर्म को शासकीय धनराशि का 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाना उत्तराखण्ड नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावद्यानों का स्पष्ट उल्लघन था।

अतः प्रकरण वसूली न होने का संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- 28.06 लाख की एलडी की वसूली न कए जाना।

जनपद पौडी गढ़वाल के अंतर्गत कफल्ड-मुसेटी-फरस्यूडी-धाधणखेत मोटर मार्ग के सुधार एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 6443/III (2)/15-09 (मा.मु.घो.)/2015 दिनांक 11.09.2015 के द्वारा 8.00 कमी. हेतु लागत 333.35 लाख की प्राप्ति हुई थी। इसकी प्रा व धक स्वीकृति हेतु मुख्य अ भयन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण वभाग, पौडी को दिनांक 12.05.2016 को प्रे षत की गयी। इसकी प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 1409/12(235) याता0-पौडी/2016 दिनांक 09.06.2016 के द्वारा प्रदान की गई।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग बैजरों के अ भलेखों की जांच में पाया गया क उक्त कार्य से संबं धत अनुबंध संख्या 10/SE-12/15-16, अनुबंध रा श 2,80,64,840.10 के कार्य आरम्भ की ति थ 18-06-2016 एवं कार्य पूर्ण होने की ति थ 17-09-2017 थी। परन्तु कार्य पूर्ण होने की ति थ के पश्चात आति थ तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कया गया। अतः General Conditions of Contract 46 (Liquidated damages) के अनुसार ठेकेदार द्वारा 14000.00 प्रतिदिन (as stated in the PCC) की दर से अ धकतम अनुबंध लागत का 10 प्रतिशत लोक निर्माण वभाग को देय था। ठेकेदार को समय वृद् ध नहीं दी गयी है न ही ठेकेदार के देयक से LD की कटौती की है।

खण्ड ने अपने उत्तर में बताया गया क स्थानीय जनता द्वारा कार्य करने में व्यवधान करने के कराण कार्य को पूर्ण करने में दरी हो रही है। ठेकेदार के Running बिल से LD (Liquidated Damage) अनुबंध की शर्तानुसार काट लया जाएगा। धीमी प्रगति के लए ठेकेदार को नोटिस दिये जाएंगें।

लेखापरीक्षा खण्ड के उत्तर से सहमत नहीं है क्यों क कार्य समाप्ति की अंतिम ति थ (सतम्बर 2017) बीत जाने के 6 माह बाद भी LD की कटौती ठेकेदार के देयक से नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ति थ तक न ठेकेदार को कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया था, न ही अनुबंध की शर्तानुसार LD काटी गई थी।

अतः 28.06 लाख[1] की एलडी की वसूली लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

---

[1] अनुबंध लागत 2,80,64,846 को 10%

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	35/2002-03	02	01
2.	31/2003-04	-	03
3.	124/2004-05	-	02
4.	104/2005-06	-	02
5.	04/2007-08	-	03
6.	56/2009-10	3	01
7.	35/2012-13	-	05
8.	13/2014-15	-	1,2,3,4
9.	64/2016-17	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-v

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अ धशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , बैजरो (पौड़ी)** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (I) संप्रेछता ति थ से पूर्व के कार्य- 51 अप्रस्तुत

   (II) रु 25 लाख से ऊपर के अनुबन्धो की सूची

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री राजेश प्रताप संह	अ धशासी अ भयंता	13-11-13 से 28-07-17
2.	श्री प्रवीण बहुखंडी	अ धशासी अ भयंता	

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) श्री बलदेव सिंह

   (ii) श्री पुष्कर सिंह राणा

   (iii) श्री संदीप बिष्ट

   (iv) श्री मोहित सिंह

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अ धशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग , बैजरो (पौड़ी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2